हीरा बनाम पन्नी उर्फ पानी व अन्य, अपील संख्या 2016/00173/225, आदेश दिनांक 25.04.2018

यह पत्रावली अभिभाषक श्री दीपक पारीक के द्वारा दिनांक 12.04.2018 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने बाबत् पर तलब की गई। अभिभाषक श्री पारीक के द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ रेस्पोडेन्ट संख्या 2/4 रामेश्वर उर्फ पूसाराम, रेस्पोडेन्ट संख्या 2/5 पप्पू की ओर से वकालतनामा पेश किया तथा प्रार्थना पत्र के साथ नोटिस जरिये रजिस्टर्ड पेश किये गये। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2/4, 2/5 के अनुरोध पर अपीलांट के अभिभाषक श्री बी. एल.शर्मा को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी तारीख पेशी दिनांक 25.04.2018 हेतु जारी किये गये थे। अभिभाषक अपीलांट को जारी एडी बाद तामील प्राप्त हुई। अभिभाषक अपीलांट बावजूद सूचना के भी उपस्थित नही हुए। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2/4, 2/5 ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू के समक्ष वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का दिनांक 27.03.2018 को निस्तारण कर दिया गया है चुंकि यह अपील 225 राज. काश्तकारी अधिनियम की है, जो सारहीन हो चुकी हैं इसलिए खारिज की जावें।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2/4, 2/5 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया । बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के समक्ष प्रस्तुत वाद पत्र संख्या 71/2013 का निर्णय दिनांक 27.03.2018 को चुका हैं जिसकी प्रमाणित प्रति अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई हैं। चुंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र का निस्तारण होने से खारिज किया जाना उचित समझते हैं। **अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।**